राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(29) ग्रावि/ग्रुप–3/नरेगा/निरी./सम. राज./09–10 जयपुर,दिनांक 15 DEC 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय स्तरीय पर्यवेक्षक की नरेगा कार्यो के निरीक्षण के संदर्भ मे।
संदर्भ :– संयुक्त सचिव, ग्रा. वि मंत्रालय नई दिल्ली मे पत्र दिनांक 2.12.09 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अ.शा. पत्र द्वारा अवगत कराया है कि राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर द्वारा राज्य मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के निरीक्षण/प्रमाणीकरण मे पाया है कि सक्षम अधिकारियो द्वारा नरेगा योजना के विभिन्न रिकार्डो पर किये गये हस्ताक्षरो के नीचे स्वयं का नाम, पदनाम व दिनांक का अंकन नहीं किया जाता है जो कि एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव मे जॉच के समय कर्मचारियो की पहचान के अभाव मे जवाबदेही एवं जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिको के जॉब कार्ड मे किये गये इन्द्राज एवं रजिस्टर संख्या 7 (ग्रामवार रोजगार रजिस्टर) के इन्द्राजो का आपस मे मेल नहीं हो रहा है एवं जॉब कार्ड मे भुगतान की गई राशि के अगले कॉलम मे सचिव द्वारा उस दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित नहीं किये जा रहे हैं, जिस दिन राशि श्रमिक के खाते मे जमा कराई जाती है।

अतः जिले मे इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृति न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था कर, विभाग को अवगत कराने का श्रम करे।

~~संलग्न :– उपरोक्तानुसार~~

भवदीय,
11/12/09
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव,ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक, ईजीएस

D:\Copy of HEMRAJ\HEMRAJ\AK Nag.doc